

नवंबर 2023

PRS के प्रमुख हाइलाइट्स:

- **गृह मामले**
 - तीन आपराधिक कानूनों को बदलने की मांग
 - मॉडल कारागार और सुधार सेवा अधिनियम, 2023
- **वित्त**
 - 16वाँ वित्त आयोग
 - सूचना प्रौद्योगिकी प्रशासन और जोखिमों पर दशिया-नरिदेश
 - सूचकांक प्रदाताओं और सामाजिक स्टॉक एक्सचेंजों हेतु ढाँचे में बदलाव
- **खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण**
 - मुफ्त खाद्यान्न योजना
- **मीडिया और प्रसारण**
 - डिजिटल वजिजापन नीति, 2023
- **शिक्षा**
 - भारत में वदेशी उच्च शिक्षण संस्थानों के परिसरों पर वनियम अधिसूचि
- **स्वास्थ्य**
 - राष्ट्रीय फार्मेसी आयोग वधियक, 2023
- **उपभोक्ता मामले**
 - ई-कॉमर्स में डार्क पैटर्न को वनियमि करने हेतु दशिया-नरिदेश
- **कानून एवं न्याय**
 - फास्ट ट्रैक वशेष अदालतों की योजना
- **आदवासी मामले**
 - प्रधानमंत्री जनजातीय आदवासी न्याय महा अभियान
- **पर्यावरण**
 - वन (संरक्षण एवं संवर्द्धन) नयिम, 2023
 - वन भूमि संबंधी छूट देने हेतु दशिया-नरिदेश
 - वन भूमि में सर्वेक्षण हेतु शर्तें अधिसूचि
- **खनन**
 - स्टार्टअप और MSME को अनुसंधान एवं वकिस में समर्थन पर दशिया-नरिदेश
 - अन्वेषण लाइसेंस से संबंधित खनन नयिमों में संशोधन

गृह मामले

तीन आपराधिक कानूनों को बदलने की मांग

गृह मामलों की स्थायी समिति ने **भारतीय न्याय संहिता, 2023 (BNS)**, **भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (BNSS)** और भारतीय साक्ष्य वधियक, 2023 (BSB) पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। वधियकों को अगस्त 2023 में गृह मामलों की स्थायी समितिको भेजा गया था। समिति ने तीन वधियकों के कुछ प्रावधानों में बदलाव की सफिराशि की है।

- **भारतीय न्याय संहिता, 2023**
 - **BNS** द्वारा हटाए गए अपराध:
 - BNS वयभचार और **समलैंगिक** यौन गतविधियिों (IPC की धारा 377) से संबंधित अपराधों को हटाती है। समिति ने कहा कि वर्ष

2018 में [सर्वोच्च न्यायालय](#) ने व्यवहार से संबंधित धारा को रद्द कर दिया था।

- भारतीय समाज में विवाह की पवित्रता को मान्यता देते हुए समिति ने सुझाव दिया कि व्यवहार की धारा को बरकरार रखा जाए और उसे सभी जेडर्स पर लागू किया जाए।
- समिति ने यह सुनिश्चित करने के लिये धारा 377 को बरकरार रखने का सुझाव दिया कि पुरुषों, ट्रांसजेंडरों के खिलाफ गैर-सहमति वाले यौन अपराधों और पशुओं के साथ बनाए गए यौन संबंधों में दंडित किया जा सके।

■ मानसिक बीमारी:

- IPC के तहत विकृत दिमाग वाले व्यक्ति द्वारा किये गए कृत्य को अपराध नहीं माना जा सकता। BNS इस प्रावधान को बरकरार रखती है, लेकिन 'अनसाउंड माइंड' के स्थान पर 'मेंटल इलनेस' का प्रयोग करती है।
- समिति ने कहा कि 'मेंटल इलनेस' यानी मानसिक बीमारी की परिभाषा 'अनसाउंड माइंड' यानी विकृत दिमाग की तुलना में व्यापक है, क्योंकि इसमें मूड स्वर्गिस या इच्छा से नशा जैसी स्थितियाँ भी शामिल हैं।

■ संगठित अपराध:

- BNS संगठित अपराध को तीन या अधिक व्यक्तियों द्वारा अकेले या संयुक्त रूप में एक अपराध सडिकेट के सदस्यों के तौर पर या उसकी ओर से की जाने वाली नरिंतर गैरकानूनी गतिविधि के रूप में परिभाषित करती है।
- समिति की राय थी कि अपराध करने और अपराध का प्रयास करने में कोई अंतर नहीं किया गया है।
- उसने स्पष्टता के लिये दोनों को अलग करने का सुझाव दिया। इसके अलावा उसने कहा कि इसका दायरा बढ़ाने हेतु 'तीन या अधिक व्यक्तियों के समूह' के स्थान पर 'दो या अधिक व्यक्तियों' का प्रयोग किया जाए।

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023

■ संज्ञेय मामलों की जाँच करने की शक्ति:

- BNS के तहत पुलिस स्टेशन का कोई भी प्रभारी अधिकारी मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर किसी भी संज्ञेय मामले की जाँच कर सकता है।
 - हालाँकि गंभीर अपराधों के लिये पुलिस अधीक्षक (SP) या पुलिस उपाधीक्षक को अपराध की जाँच करने की आवश्यकता हो सकती है।
- यह मानते हुए कि SP ज़िले का प्रभारी होता है और उसकी पर्यवेक्षी भूमिका है, समिति ने सुझाव दिया कि अधीनस्थ अधिकारियों को ऐसी जाँच संभालनी चाहिये।

■ विचाराधीन कैदी:

- CrPC के तहत अगर किसी विचाराधीन कैदी ने किसी अपराध के लिये कारावास की अधिकतम अवधि का आधा हिस्सा हरिसत में बतियाया है तो उसे उसके नज़ी बांड पर रखा किया जाना चाहिये। यह उन अपराधों पर लागू नहीं होता, जिनमें मौत की सज़ा हो सकती है।
- BNS के अनुसार, यह प्रावधान इन पर भी लागू नहीं होगा:
 - ऐसे अपराध जिनमें आजीवन कारावास की सज़ा मिली है
 - ऐसे व्यक्ति जिन पर एक से अधिक अपराधों के लिये कार्यवाही लंबित है।
- समिति ने सुझाव दिया कि उन विचाराधीन कैदियों को जमानत दी जानी चाहिये जिन्होंने खुद पर लगाए गए सबसे गंभीर अपराध के लिये अधिकतम सज़ा काट ली है। हालाँकि अगर कई अपराधों हेतु लगातार सज़ा दी गई है तो यह प्रावधान लागू नहीं होगा।

■ पुलिस हरिसत:

- CrPC के तहत एक न्यायिक मजिस्ट्रेट किसी आरोपी व्यक्ति को 15 दिनों तक हरिसत में रखने के लिये अधिकृत कर सकता है। BNS के अनुसार, 15 दिनों की हरिसत को शुरुआती 40, 60 या 90 दिनों के दौरान भागों में रखा जा सकता है।
- समिति ने कहा कि अधिकारी इस धारा का दुरुपयोग कर सकते हैं क्योंकि यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि पहले 15 दिनों में हरिसत में क्यों नहीं लिया गया। समिति ने उचित संशोधन के साथ खंड को स्पष्ट करने का सुझाव दिया।

भारतीय साक्ष्य बलि, 2023

■ इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के साथ छेड़छाड़:

- IEA के तहत इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड सहायक साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य हैं। BSB के तहत इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को मुख्य सबूत के रूप में वर्गीकृत किया गया है। मुख्य साक्ष्य में मूल दस्तावेज़ और उसके हिस्से शामिल होते हैं। सहायक साक्ष्य में ऐसे दस्तावेज़ शामिल होते हैं जो मूल दस्तावेज़ के कॉन्टेंट को साबित कर सकते हैं।
- समिति ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड की प्रामाणिकता एवं अखंडता की रक्षा करना ज़रूरी है क्योंकि उनमें छेड़छाड़ की आशंका होती है। समिति ने सुझाव दिया कि इसमें एक प्रावधान जोड़ा जाए और इस प्रावधान के तहत यह अनविरय किया जाए कि जाँच के दौरान सबूत के रूप में जमा किये गए सभी इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड को उचित तरीके से चेन ऑफ कस्टडी के माध्यम से सुरक्षित रूप से हैंडल तथा प्रोसेस किया जाएगा। समिति ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में सबूतों की ऑडियो-वीडियो रिकॉर्डिंग के संबंध में भी इसी तरह के संशोधन का सुझाव दिया है, जो आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 का स्थान लेगी।

■ इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य की स्वीकार्यता: IEA के अनुसार, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को एक प्रमाणपत्र द्वारा प्रामाणिकता दिया जाना चाहिये। समिति ने कहा कि BSB नरिदष्टि करता है कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को प्राथमिक साक्ष्य द्वारा साबित किया जाना चाहिये, जिसके लिये प्रमाणपत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

- हालाँकि यह इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की स्वीकार्यता पर IEA के धारा को भी बरकरार रखता है, जिसके लिये प्रमाणपत्र के माध्यम से प्रामाणिकरण की आवश्यकता होती है। समिति ने वर्तमान प्रमाणपत्र प्रामाणिकरण के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की स्वीकार्यता साबित करने का सुझाव दिया।

मॉडल कारागार और सुधार सेवा अधिनियम, 2023

गृह मंत्रालय ने **मॉडल कारागार और सुधार सेवा अधिनियम, 2023** को अपनाया और इसे राज्य सरकारों के लिये जारी किया। 2023 मॉडल कानून का उद्देश्य जेलों के प्रशासन और प्रबंधन को आधुनिक बनाना और इसे जेल सुधारों के साथ जोड़ना है। इसमें जेलों तथा कैदियों के संगठन, उनके वर्गीकरण, प्रबंधन, प्रशासन एवं कल्याण को शामिल किया गया है। मॉडल अधिनियम की मुख्य विशेषताओं में नमिनलखिति शामिल हैं:

■ कैदियों का वर्गीकरण:

- मॉडल एक्ट कैदियों के वर्गीकरण और सुरक्षा मूल्यांकन के लिये एक समिति का गठन करता है। कैदियों को व्यापक श्रेणियों के अंतर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है जिनमें नमिनलखिति शामिल हैं:
 - दीवानी
 - आपराधिक
 - दोषी
 - वचाराधीन कैदी
- इन श्रेणियों के भीतर, कैदियों को उप-श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है और अलग से रखा जा सकता है। उप-श्रेणियों में नमिनलखिति शामिल हैं:
 - नशीली दवाओं के आदी
 - पहली बार के अपराधी
 - वदशी कैदी
 - मानसिक बीमारी से पीड़ित कैदी
 - मौत की सज़ा पाए कैदी
- जेलों में पुरुष, महिला और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिये अलग-अलग अनुभाग भी हो सकते हैं।

■ वचाराधीन कैदी समीक्षा समिति:

- मॉडल अधिनियम के तहत प्रत्येक ज़िले में एक वचाराधीन कैदी समीक्षा समिति की स्थापना की आवश्यकता है। समिति की अध्यक्षता ज़िला एवं सत्र न्यायाधीश करेगा।
- वह समय-समय पर बैठक कर ज़िले की सभी जेलों में ज़मानत के पात्र कैदियों के मामलों की समीक्षा करेगा। वह प्रत्येक मामले से संबंधित आवश्यक सुझाव देगा।

■ विशेष नगरानी उपाय:

- संगठित अपराध और गरिहों की गतिविधियों को रोकने के लिये जेल और सुधार संस्थान कैदियों को लेकर विशेष नगरानी उपाय सुनिश्चित करेंगे।
- इन जेल और सुधार सेवाओं के तहत कैदियों से खुफिया जानकारी इकट्ठा की जा सकती है और राज्य/केंद्रशासित प्रदेश पुलिस विभाग की खुफिया वगि के समन्वय से उनकी नगरानी कर सकती हैं।
- राज्य/केंद्रशासित प्रदेश जेलों के प्रभावी ढंग से प्रबंधन, सुरक्षा और पर्यवेक्षण के लिये उपयुक्त तकनीक (CCTV सिसिम एवं बायोमेट्रिक्स सहित) का इस्तेमाल भी सुनिश्चित करेगा।

■ स्वास्थ्य देखभाल:

- सभी कैदियों को निरधारित पर्याप्त और लगी-उत्तरदायी स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं तक पहुँच प्राप्त होगी।
- सरकार मानसिक स्वास्थ्य समीक्षा बोर्ड की अनुमति से मानसिक बीमारी से पीड़ित किसी भी कैदी को हरिसत के स्थान से राज्य/केंद्रशासित प्रदेश के किसी मानसिक स्वास्थ्य प्रतष्ठान में स्थानांतरित कर सकती है।

वतित

16वाँ वतित आयोग

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 16वें वतित आयोग के लिये संदर्भ की शर्तों को मंजूरी दे दी है।

- संदर्भ की शर्तों के लिये आयोग को नमिनलखिति मामलों पर सुझाव देना होता है:
 - केंद्र सरकार और राज्यों के बीच करों की शुद्ध आय का वतितरण,
 - राज्यों के बीच इस आय का आवंटन,
 - शासित होने वाले सदिधांत और राज्यों को अनुदान सहायता के रूप में भुगतान की गई राशि,
 - स्थानीय सरकारों के संसाधनों की पूर्ति के लिये राज्य के राजस्व को बढ़ाने हेतु आवश्यक उपाय।
- इसके अतिरिक्त वह आपदा प्रबंधन पहल के वतितपोषण की व्यवस्था की समीक्षा कर सकता है।
- सुझाव 1 अप्रैल, 2026 से शुरू होकर पाँच वर्ष की अवधि के लिये लागू होंगे। आयोग 31 अक्टूबर, 2025 तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

सूचना प्रौद्योगिकी प्रशासन और जोखिमों पर दशा-नरिदेश

भारतीय रज़िर्व बैंक (RBI) ने RBI (सूचना प्रौद्योगिकी प्रशासन, जोखिम, नयितरण और आश्वासन प्रथाएँ) दशा-नरिदेश, 2023 जारी किये हैं।

प्रमुख प्रावधान नमिनलखिति हैं:

- नरिदेश IT प्रशासन, जोखमि, नरिंतरण और व्यवसाय नरिंतरता/आपदा पुनरप्राप्ति प्रबंधन के लिये रूपरेखा प्रदान करते हैं।
- ये नरिदेश बैंकों, गैर-बैंकगि वतिलीय कंपनियों, क्रेडिट सूचना कंपनियों, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबारड) और राष्ट्रीय वतिलपोषण अवसंरचना एवं विकास बैंक जैसी संस्थाओं पर लागू होंगे। वनियमिति संस्थाओं को IT वशिषज्जता वाले स्वतंत्र नदिशक की अध्यक्षता में एक बोर्ड-स्तरीय IT रणनीति समिति (IT Strategy Committee- ITSC) स्थापति करनी होगी।
- साइबर/सूचना सुरक्षा के प्रबंधन के लिये एक सूचना सुरक्षा समिति (ISC) का गठन कयिा जाना चाहयि। व्यवसाय नरिंतरता योजना और आपदा पुनरप्राप्ति नीति को वघिटनकारी घटनाओं की संभावना के साथ-साथ प्रभाव को कम करने हेतु सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाना चाहयि।

सूचकांक प्रदाताओं और सामाजिक स्टॉक एक्सचेंजों हेतु ढाँचे में बदलाव

[भारतीय प्रतभूति और वनियमि बोर्ड \(सेबी\)](#) ने अपनी बोर्ड बैठक में कुछ फैसले लिये।

प्रमुख नरिणयों में नमिनलखिति शामिल हैं:

- सोशल स्टॉक एक्सचेंज:**
 - सोशल स्टॉक एक्सचेंज (SSE)** गैर-लाभकारी और लाभकारी सामाजिक उद्यमों को धन जुटाने की अनुमति देता है। गैर-लाभकारी संगठन, SSE पर शून्य कूपन शून्य प्रसिपिल (ZCZP) इंडस्ट्रूमेंट्स जारी करके धन जुटा सकते हैं।
 - ZCZP इंडस्ट्रूमेंट्स में परपिकवता पर कोई कूपन भुगतान या मूलधन पुनरभुगतान नहीं होता है। सेबी ने इन इंडस्ट्रूमेंट्स के लिये न्यूनतम इश्यू साइज़ को एक करोड़ रुपए से आधा कर 50 लाख रुपए करने का फैसला कयिा है।
 - ऐसे इंडस्ट्रूमेंट्स के सार्वजनिक नरिगम के लिये न्यूनतम आवेदन आकार भी दो लाख रुपए से घटाकर 10,000 रुपए कर दयिा जाएगा। संस्थाओं को संबंधित कानून या धारा 8 कंपनी (धरमार्थ उद्देश्य हेतु कंपनी) के तहत धरमार्थ ट्रस्ट के रूप में पंजीकृत होना चाहयि।
 - सेबी ने अधिक गैर-लाभकारी संस्थाओं को SSE पर पंजीकरण के लिये पात्र होने की अनुमति दी है। इनमें शैक्षणिक और चकितिसा संस्थान शामिल हैं।
- सूचकांक प्रदाताओं हेतु नयिमक ढाँचे का परचिय:**
 - सेबी ने इंडेक्स प्रोवाइडर्स के लिये एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को मंजूरी दी है। एक इंडेक्स प्रतभूतियों के समूह से बना होता है और उन प्रतभूतियों के मूल्य में परविरतन को मापता है।
 - फ्रेमवर्क के तहत महत्त्वपूर्ण सूचकांकों को लाइसेंस देने वाले सूचकांक प्रदाताओं को वस्तुनिष्ठ मानदंडों के आधार पर सेबी द्वारा अधिसूचति कयिा जाएगा। अधिसूचति सूचकांक प्रदाताओं को सेबी के साथ पंजीकरण कराना आवश्यक होगा।

खाद्य एवं सार्वजनिक वतिरण

मुफ्त खाद्यान्न योजना

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने [प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना](#) (Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana- PMGKAY) को पाँच वर्ष तक बढ़ाने की मंजूरी दी।

प्रमुख वशिषताएँ:

- PMGKAY के तहत लगभग 81 करोड़ लाभार्थियों को मुफ्त खाद्यान्न प्रदान कयिा जाता है। इनमें चावल, गेहूँ और मोटा अनाज/बाजरा शामिल हैं। योजना की अवधि 1 जनवरी, 2024 से पाँच वर्ष के लिये बढ़ा दी गई है।
- पाँच वर्ष की अवधि में योजना पर केंद्र सरकार का 11.8 लाख करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। अप्रैल 2020 से मार्च 2023 के बीच केंद्र सरकार ने PMGKAY के तहत सब्सिडी पर 3.4 लाख करोड़ रुपए खर्च कयिे।
- PMGKAY को मार्च 2020 में पेश कयिा गया था, जिसके तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के लाभार्थियों को उनकी मासिक पात्रता से पाँच किलोग्राम अतिरिक्त खाद्यान्न प्रदान कयिा जाता है।
- NFSA के तहत लाभार्थियों को सब्सिडी वाला खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है। दिसंबर 2022 में केंद्र सरकार ने जनवरी 2024 तक एक वर्ष के लिये सभी NFSA लाभार्थियों को यह खाद्यान्न मुफ्त प्रदान करने का नरिणय लयिा।

मीडिया और प्रसारण

डजिटल वजिापन नीति, 2023

सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने [डजिटल वजिापन नीति, 2023](#) जारी की है। यह केंद्रीय संचार ब्यूरो (CBC) को डजिटल मीडिया पर वजिापन अभियान चलाने हेतु रूपरेखा प्रदान करता है। CBC केंद्र सरकार के मंत्रालयों, वभिगों, उपक्रमों और स्वायत्त नकियों द्वारा वजिापनों के लिये नोडल एजेंसी है।

नीति की प्रमुख वशिषताओं में नमिनलखिति शामिल हैं:

- **पैनल में शामिल होने हेतु पात्रता:** वजिजापन सेवाएँ प्रदान करने वाली संस्थाओं को CBC के पैनल में शामिल होने के लिये कुछ पात्रता मानदंडों को पूरा करना होगा। इनमें कम-से-कम एक वर्ष पुराना होना और नरिंतर संचालन में होना (सोशल मीडिया के लिये छह महीने) और वेबसाइट हेतु न्यूनतम यूनीक यूजर बेस 2.5 लाख प्रति माह और OTT एवं डिजिटल ऑडियो प्लेटफॉर्म के लिये 5 लाख होना शामिल है।
- **पैनल में शामिल होने की प्रक्रिया:** ऐसी सेवाएँ देने वाली नजी संस्थाओं को नीलामी के माध्यम से तीन वर्ष की अवधि के लिये पैनल में शामिल किया जाएगा। सरकारी संस्थाओं को नीलामी के माध्यम से खोजी गई दर की स्वीकृति के अधीन सीधे सूचीबद्ध किया जा सकता है।
- **प्रदर्शन मानदंड:** नीति उन प्रदर्शन मेट्रिक्स को भी नरिदषि करती है जिनका उपयोग वजिजापनों के मूल्यांकन के लिये किया जाएगा। इनमें क्लिक-थ्रू रेट्स, व्यू-थ्रू रेट्स (OTT प्लेटफॉर्मों के लिये) और लसिन-थ्रू रेट्स शामिल हैं। ये दरें प्रति 1,000 इंप्रेशन पर वजिजापनों के साथ इंटरैक्शन की संख्या हैं। प्रदर्शन मानदंडों को पूरा न करने पर भुगतान में कमी कर दी जाएगी।

शिक्षा

भारत में वदिशी उच्च शिक्षण संस्थानों के परसिरों पर वनियम अधसूचि

वशिववदिद्यालय अनुदान आयोग (UGC) ने “वशिववदिद्यालय अनुदान आयोग (भारत में वदिशी उच्च शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और संचालन) वनियम, 2023” को अधसूचि किये। ये नयिम उन वदिशी उच्च शैक्षणिक संस्थानों (HEI) पर लागू होते हैं जो पाठ्यक्रम प्रस्तुत करने के लिये भारत में एक परसिर स्थापति करना चाहते हैं।

वनियमों की मुख्य वशिषताओं में नमिनलखिति शामिल है:

- **पात्रता:** भारत में परसिर स्थापति करने के लिये एक वदिशी HEI का:
 - आवेदन के समय शीर्ष 500 वैश्विक रैंकिंग में स्थान होना चाहिये,
 - वैश्विक रैंकिंग की वशिष-वार श्रेणी में शीर्ष 500 में स्थान होना चाहिये,
 - वह कसिी वशिष वशिष में वशिषज्ज हो।
- **अनुमोदन की प्रक्रिया:** भारत में कैंपस शुरू करने के लिये UGC की पूर्व मंजूरी की आवश्यकता होगी। इच्छुक संस्थान को आवेदन के साथ नमिनलखिति जानकारी प्रदान करनी होगी:
 - भारत में परसिर स्थापति करने के लिये शासी नकिया से अनुमति,
 - प्रस्तावति स्थान, ढाँचागत संबंधी सुवधिओं और शुलक संरचना के बारे में वविरण,
 - कसिी मान्यता प्राप्त नकिया से नवीनतम मान्यता या गुणवत्ता आशवासन रपिर्ट,
 - मुख्य परसिर और भारतीय परसिर के बीच शिक्षा की गुणवत्ता और योग्यताओं की स्वीकृति में सामंजस्य सुनिश्चि करने के लिये दृष्टिकोण।
 - UGC प्रत्येक आवेदन का मूल्यांकन करने के लिये एक स्थायी समिति का गठन करेगा।
 - समिति आवेदन प्राप्त होने के 60 दिनों के भीतर UGC को सुझाव देगी। सुझाव प्राप्त होने के 60 दिनों के भीतर UGC अपनी मंजूरी (शर्तों के साथ या बनिा) देगा।
- **दाखलिा और शुलक:**
 - एक वदिशी HEI अपनी फीस संरचना स्वयं तय करेगा, जो पारदर्शी और उचित होनी चाहिये। उन्हें दाखलिा शुरू होने से 60 दिनि पहले अपना प्रॉस्पेक्टस अपनी वेबसाइट पर उपलब्ध कराना होगा। प्रॉस्पेक्टस में शुलक संरचना, रफिंड नीति, पाठ्यक्रमों में सीटों की संख्या जैसे वविरण शामिल होने चाहिये। वदिशी HEI नमिनलखिति भी प्रस्तुत कर सकते हैं:
 - योग्यता-आधारति या आवश्यकता-आधारति छात्रवृत्ति
 - भारतीय वदियार्थियों को रयियतें।
- **संकाय की नयिकृति:**
 - एक वदिशी HEI अपने फ़ैकेल्टी और कर्मचारियों के लिये योग्यता, वेतन और सेवा की अन्य शर्तें तय कर सकता है। हालाँकि नयिकृत फ़ैकेल्टी और पाठ्यक्रम की योग्यताएँ मूल देश के मुख्य परसिर के समान होनी चाहिये।
- **ऑनलाइन मोड/डसि्टेंस लरनिग:**
 - वदिशी HEI ओपन डसि्टेंस लरनिग मोड के माध्यम से अपने पाठ्यक्रम प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं। हालाँकि 10% तक व्याख्यान ऑनलाइन कराए जा सकते हैं।

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय फार्मेसी आयोग वधियक, 2023

स्वास्थ्य एवं परविर कल्याण मंत्रालय ने सार्वजनिक प्रतकिरयिओं के लिये **राष्ट्रीय फार्मेसी आयोग वधियक, 2023** का मसौदा जारी किये है। मसौदा वधियक फार्मेसी शिक्षा को वनियमिति और उस तक पहुँच को बेहतर बनाने का प्रयास करता है। यह फार्मेसी अधिनियम, 1948 को नरिस्त करने का प्रयास करता है। मुख्य वशिषताओं में नमिनलखिति शामिल है:

- **कार्य:** राष्ट्रीय फार्मेसी आयोग के कार्यों में नमिनलखिति शामिल है:
 - फार्मेसी शिक्षा और प्रशिक्षण के प्रशासन के मानकों को वनियमिति करना,
 - फार्मा संस्थानों और पेशेवरों को वनियमिति करना,
 - फार्मेसी संस्थानों में दाखलिा के लिये एक समान तंत्र प्रदान करना।

- आयोग की देखरेख में इन कार्यों को पूरा करने के लिये तीन बोर्ड स्थापति किये जाएंगे।
- एक सलाहकार परिषद इन मामलों पर आयोग को सलाह भी देगी।

■ संरचना:

- आयोग में कुल 28 सदस्य होंगे। चेरपरसन फार्मेसी शक्तिषावदि और फार्मेसी के क्षेत्र में कम-से-कम 15 वर्षों के अनुभव वाला एक पंजीकृत फार्मासिस्ट होना चाहिये।
- आयोग के पदेन सदस्यों में नमिनलखिति शामिल हैं:
 - भारत का औषधमिहानयित्त्रक,
 - आयोग के तहत तीन बोर्डों के अध्यक्ष,
 - स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय का एक प्रतिनिधि, जो संयुक्त सचिव पद से नीचे का अधिकारी न हो।
- आयोग के अंशकालिक सदस्यों में नमिनलखिति शामिल हैं:
 - राज्य फार्मेसी चैप्टर के छह अध्यक्ष,
 - फार्मेसी क्षेत्र के प्रतिष्ठित सदस्य।
- अध्यक्ष और सदस्यों का चयन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में एक खोज-सह-चयन समिति के सुझावों के आधार पर किया जाएगा।

■ बोर्ड:

- आयोग की देख-रेख में तीन बोर्ड गठित किये जाएंगे।

■ इनमें नमिनलखिति शामिल हैं:

- फार्मेसी की शिक्षा और प्रैक्टिस के मानकों को वनियमिति करने के लिये फार्मेसी शिक्षा बोर्ड,
- फार्मेसी संस्थानों का आकलन करने और नए संस्थानों की स्थापना की अनुमति देने के लिये फार्मेसी मूल्यांकन और रेटिंग बोर्ड।
- सभी फार्मेसी पेशेवरों के लिये राष्ट्रीय रजिस्टर बनाने, पंजीकरण हेतु आवेदनों की समीक्षा करने और फार्मेसी में पेशेवर आचरण को वनियमिति करने के लिये फार्मेसी नैतिकता एवं पंजीकरण बोर्ड।

■ फार्मेसी परामर्श परिषद:

- परिषद आयोग को फार्मेसी की शिक्षा, सेवाओं, प्रशिक्षण और अनुसंधान तक समान पहुँच बढ़ाने के उपायों पर सलाह देगी।
- यह प्राथमिक मंच भी होगा जिसके माध्यम से राज्य/केंद्रशासित प्रदेश आयोग के समक्ष अपनी समस्याओं को प्रस्तुत कर सकते हैं। राष्ट्रीय फार्मेसी आयोग का अध्यक्ष परिषद का अध्यक्ष होगा।

उपभोक्ता मामले

ई-कॉमर्स में डार्क पैटर्न को वनियमिति करने हेतु दशा-नरिदेश

केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) ने डार्क पैटर्न की रोकथाम और वनियमिति के लिये दशा-नरिदेश, 2023 को अधिसूचित किया। प्लेटफॉर्म के यूजर इंटरफेस या यूजर एक्सपीरियंस (यूआई/यूएक्स) इंटरैक्शन में उन पद्धतियों या भ्रामक डिज़ाइन पैटर्न को डार्क पैटर्न कहा जाता है जो अनपेक्षित कार्य करने के लिये यूजर को गुमराह करने या धोखा देने के लिये डिज़ाइन किये जाते हैं। ये पैटर्न उपभोक्ता की स्वायत्तता, नरिणय लेने या पसंद को विकृत करते हैं और भ्रामक वजिापन, अनुचित कारोबारी पद्धतियों या उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन के समान होते हैं।

दशा-नरिदेशों की मुख्य वशिषताओं में नमिनलखिति शामिल हैं:

■ डार्क पैटर्न में शामिल होने पर प्रतिबंध:

- दशा-नरिदेश किसी भी डार्क पैटर्न पद्धतियों में संलग्न होने पर रोक लगाते हैं। ये इन पर लागू होंगे:
- भारत में वस्तु या सेवाएँ प्रदान करने वाले सभी प्लेटफॉर्म,
- वजिापनदाता,
- विक्रेता।

- उपभोक्ता संरक्षण एक्ट, 2019 के तहत स्थापित CCPA डार्क पैटर्न की व्याख्या से संबंधित असपष्टताओं या विवादों के निपटान के लिये ज़िम्मेदार होगा। अधिनियम के तहत CCPA के नरिदेशों का पालन करने में वफिलता पर छह महीने तक की कैद, 20 लाख रुपए तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।

■ डार्क पैटर्न के प्रकार:

- दशा-नरिदेश वभिन्न डार्क पैटर्न को परिभाषित करते हैं। कुछ प्रमुख पैटर्न नमिनलखिति हैं।

■ झूठी तात्कालिता:

- किसी उत्पाद/सेवा की अत्यावश्यकता या कमी की स्थिति को गलत तरीके से बताना या लागू करना। उदाहरण के लिये उपयोगकर्त्ताओं के एक सीमिति समूह के लिये किसी बिक्री को 'अनन्य' के रूप में गलत तरीके से वर्णित करना।

■ शर्मसार करना:

- उपभोक्ता के मन में भय, शर्म, अपराधबोध या उपहास की भावना पैदा करने के लिये किसी वाक्यांश, वीडियो, ऑडियो या किसी अन्य माध्यम का उपयोग करना। उदाहरण के लिये यदि उपयोगकर्त्ता कार्ट में बीमा नहीं जोड़ता है तो उड़ान टिकट बुक करने के लिये एक प्लेटफॉर्म 'मैं असुरक्षित रहूँगा' वाक्यांश का उपयोग करता है।

■ पेचीदा सवाल:

- किसी उपयोगकर्त्ता को वांछित कार्रवाई करने से गुमराह करने के लिये जान-बूझकर भ्रमिति करने वाली या असपष्ट भाषा का उपयोग करना। उदाहरण के लिये किसी अपडेट सेवा को बंद करने के लिये 'हाँ, मैं अपडेट प्राप्त करना चाहूँगा' और 'अभी नहीं' जैसे भ्रमिति करने वाले विकल्प प्रदान किये जाते हैं।

फास्ट ट्रैक वशेष अदालतों की योजना

कैबिनेट ने [फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट \(FTSC\)](#) के लिये केंद्र परियोजना योजना को मार्च 2026 तक जारी रखने को मंजूरी दे दी है। अगले तीन वर्षों में इस योजना का कुल परवियय 1,952 करोड़ रुपए होगा, जिसमें केंद्र का हिससा 1,207 करोड़ रुपए और राज्य का हिससा 745 करोड़ रुपए होगा। केंद्रीय हिससेदारी नरिभया फंड से दी जाएगी।

- यौन अपराधों के पीड़ितों को समरूपति कोर्ट मशीनरी देने के लिये FTSC को लागू किया गया था। योजना अक्टूबर 2019 में शुरू हुई और मार्च 2023 तक बढ़ा दी गई। योजना के अपेक्षति परणामों में नमिनलखिति शामिल हैं:
 - मामलों का बोझ कम होना,
 - यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण एक्ट, 2012 के तहत बलात्कार और अपराधों के लंबति मामलों में उल्लेखनीय कमी आना,
 - त्वरति सुनवाई के माध्यम से यौन अपराधों के पीड़ितों के लिये त्वरति न्याय तक पहुँच।

आदविसी मामले

प्रधानमंत्री जनजातीय आदविसी न्याय महा अभियान

मंत्रिमंडल ने 24,104 करोड़ रुपए के कुल परवियय के साथ [प्रधानमंत्री जनजातीय आदविसी न्याय महा अभियान \(PM JANMAN\)](#) को मंजूरी दी है। इसमें केंद्र का हिससा 15,336 करोड़ रुपए होगा, जबकि राज्य का हिससा 8,768 करोड़ रुपए होगा।

- पीएम जनमन की मुख्य वशिषताएँ:
 - पीएम जनमन का उद्देश्य वशिष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूहों (PVTG) की सामाजिक-आर्थिक स्थितियों में सुधार करना है।
 - 2011 की जनगणना के आधार पर भारत में अनुसूचित जनजात की आबादी लगभग 10.5 करोड़ है, जिसमें 19 राज्यों और केंद्रशासति प्रदेशों के 75 समुदायों को PVTG के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
 - पीएम जनमन का उद्देश्य PVTG के लिये सुरक्षति आवास, स्वच्छ पेयजल, सड़क कनेक्टविटी और स्थायी आजीविका के अवसर जैसी आवश्यक सुवधाएँ प्रदान करना है।
 - पीएम जनमन में 11 महत्त्वपूर्ण पहलों पर ध्यान केंद्रति किया जाएगा जिनमें नमिनलखिति शामिल हैं
 - सड़कों को कनेक्ट करना।
 - पक्के घरों का प्रावधान।
 - पाइप और सामुदायिक जल आपूर्ति।
 - व्यावसायिक शिक्षा।
 - छात्रावासों का नरिमाण।

पर्यावरण

वन (संरक्षण एवं संवर्द्धन) नयिम, 2023

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परविरतन मंत्रालय ने वन (संरक्षण एवं संवर्द्धन) नयिम, 2023 को अधिसूचित किया है। ये नयिम [वन \(संरक्षण\) नयिम, 2022](#) की जगह लेते हैं। नयिमों को वन (संरक्षण एवं संवर्द्धन) अधिनयिम, 1980 (यानी वन संरक्षण अधिनयिम, 1980) के तहत अधिसूचित किया गया है।

नयिमों की मुख्य वशिषताओं में शामिल हैं:

- सैद्धांतिक मंजूरी की प्रक्रिया:
 - केंद्र सरकार दो चरणों में मंजूरी प्रदान करेगी:
 - सैद्धांतिक मंजूरी
 - अंतिम मंजूरी।
 - यह कुछ प्रकार की परयोजनाओं के लिये सैद्धांतिक मंजूरी हेतु क्षेत्रीय कार्यालय स्थापति करेगी।
 - इनमें शामिल हैं:
 - लीनियर परयोजनाएँ,
 - कुछ अन्य शर्तों के अधीन 25 मेगावाट क्षमता तक की पनबजिली परयोजनाएँ
 - 40 हेक्टेयर तक वन भूमि।
- अंतिम मंजूरी:
 - केंद्र सरकार राज्य सरकार से अनुपालन रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद अंतिम मंजूरी प्रदान करेगी।
 - रिपोर्ट प्रतपूरक वनरोपण नधि अधिनयिम, 2016 के तहत प्रतपूरक वनरोपण के लिये प्रतपूरक लेवी के भुगतान और भूमि प्रदान करना

सुनश्चिति करेगी।

■ **अपराधों के वरिद्ध कार्यवाही:**

- न्यायालय में अधिनियम के उल्लंघन की शिकायत दर्ज करने के लिये केंद्र सरकार प्रभागीय वन अधिकारी या राज्य सरकार के उप वन संरक्षक और उससे उच्च स्तर के एक अधिकारी को अधिकृत कर सकती है।

वन भूमि संबंधी छूट देने हेतु दशा-नरिदेश:

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने उस भूमि को नरिदषिट करने के लिये दशा-नरिदेश जारी किये जनिहें वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 [यानी वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980] के दायरे से छूट दी जाएगी।

प्रमुख वशिषताओं में नमिनलखिति शामिल हैं:

■ **सुरक्षा संबंधी छूट:**

- एकट नरिदषिट करता है कि कुछ प्रकार की भूमि को सुरक्षा इंफ्रास्ट्रक्चर या सार्वजनिक उपयोगिता परियोजनाओं के नरिमाण हेतु कानून से छूट दी जा सकती है। दशा-नरिदेश नरिदषिट करते हैं कि वशिष रूप से केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित वामपंथी अतवािद (LWE) प्रभावति ज़िलों के लिये इस छूट पर वचिार कयिा जाना चाहयिे।
- राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधति रणनीतिक लीनयिर परयिोजनाओं के लिये छूट केवल इस प्रकार अधिसूचित कषेत्रों में ही दी जाती है। केंद्र सरकार संबंधति राज्य सरकार/केंद्रशासति प्रदेश के परामर्श से ऐसे कषेत्रों को रणनीतिक और राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधति कषेत्रों के रूप में अधिसूचित करेगी।

■ **वामपंथी अतवािदी कषेत्रों में परयिोजनाओं हेतु छूट:**

- अधिनियम वामपंथी अतवािद प्रभावति कषेत्रों में सार्वजनिक उपयोगिता परयिोजनाओं के नरिमाण के लिये नरिदषिट वन भूमि को छूट देता है। दशा-नरिदेश सार्वजनिक उपयोगिता परयिोजनाओं को स्कूलों, शैक्षणिक संस्थानों, अस्पतालों जैसी 12 परयिोजनाओं तक सीमति करते हैं।

■ **परयिोजना प्रस्तावों की जाँच के लिये शर्तें:**

- राज्य सरकार को परयिोजना प्रस्तावों की जाँच के लिये नमिनलखिति मानदंडों पर वचिार करना चाहयिे:
- वन भूमि का उपयोग साइट-वशिषिट उपयोग हेतु है, न कि कृषि, कार्यालय या आवासीय उद्देश्यों के लिये।
- अन्य सभी वकिल्लों पर वचिार कयिा गया है और कोई अन्य वकिल्ल संभव नहीं है।
- कम-से-कम इतने कषेत्र की आवश्यकता है।
- वन भूमि को दूसरे उपयोग के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभावों पर अधिकारयिों ने वचिार कयिा है।
- यूज़र एजेंसी ने प्रतपूरक वनरोपण के लिये भूमि और लागत प्रदान करने का काम कयिा है।
- राष्ट्रीय वन नीतिका अनुपालन।

वन भूमि में सर्वेक्षण हेतु शर्तें अधिसूचिति:

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत एक आदेश को अधिसूचिति कयिा।

आदेश की मुख्य वशिषताएँ इस प्रकार हैं:

■ **गैर-वन उद्देश्यों से सर्वेक्षणों को बाहर करने की शर्तें:**

- अधिनियम के तहत गैर-वन उद्देश्य का तात्पर्य पुनरवनीकरण के अलावा कसिी अन्य उद्देश्य के लिये वन भूमि के कसिी भी हसिसे को तोड़ने या साफ करने से है। आदेश के अनुसार, नरिदषिट शर्तों को पूरा करने वाले पेट्रोलियम खनन सर्वेक्षणों की भूकंपीय, खनन और खोजपूरण ड्रिलिंग को गैर-वन उद्देश्यों से बाहर रखा जाएगा।

■ **सर्वेक्षण के मानदंड:**

- सर्वेक्षण गतिविधियिँ अस्थायी रूप से की जानी चाहयिे और भूमि उपयोग में स्थायी परिवर्तन नषिदिध है। सर्वेक्षण पूरा करने के बाद वन भूमि को पुनः प्रापत कयिा जाएगा एवं उसे उसकी मूल स्थिति में बहाल कयिा जाएगा। जंगलों में मशीनरी तथा सामग्री के परिवहन के लिये नई सड़कें बनाना प्रतबिंधति है।

- राष्ट्रीय उद्यानों, बाघ अभयारण्यों और वन्यजीव अभयारण्यों जैसे संरक्षति कषेत्रों में खनजि खनन सर्वेक्षण नषिदिध है। ऐसे कषेत्रों में वकिस परयिोजनाओं के सर्वेक्षण के लिये राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की स्थायी समतियिा केंद्र सरकार के दशा-नरिदेशों के अनुसार अनुमोदन की आवश्यकता होगी।

■ **कषतिके लिये मुआवज़ा:**

- सर्वेक्षण से होने वाली कषति जैसे कि गिरि हुए पेड़ या खोदे गए गड्डों की भरपाई वनीकरण के माध्यम से की जानी चाहयिे। उदाहरण के लिये यूज़र एजेंसियिों को खोदे गए प्रत्येक बोर होल के लिये 100 पेड़ और 10 वर्षों तक पौधों की रखरखाव लागत का भुगतान करना होगा।
- यह धनराशि राज्य प्रतकिारात्मक वनरोपण नधिाि प्रबंधन और योजना प्राधकिरण को प्रदान की जाएगी।

■ **सर्वेक्षण पूरा करने की समय-सीमा:**

- यूज़र एजेंसियिों को दो वर्ष के भीतर सर्वेक्षण शुरू कर उसे पूरा करना होगा। अगर इस अवधि के दौरान कोई कार्य नहीं कयिा जाता है, तो प्रापत मंजूरी खारजि कर दी जाएगी और वन भूमि का कबज़ा स्थानीय वन वभिाग द्वारा ले लयिा जाएगा।

स्टार्टअप और MSME को अनुसंधान एवं विकास में समर्थन पर दशिया-नरिदेशः

खान मंत्रालय ने 'खनन, खनजि प्रसंस्करण, धातुकर्म और पुनर्चक्रण क्षेत्र में स्टार्टअप एवं MSME में अनुसंधान तथा नवाचार को बढ़ावा' देने के लिये दशिया-नरिदेश जारी किये हैं। ये दशिया-नरिदेश प्रौद्योगिकी विकास के प्रारंभिक चरणों के लिये खनन और धातु उद्योग में स्टार्टअप एवं **सुक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSME)** को वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं।

दशिया-नरिदेशों की मुख्य विशेषताओं में नमिनलखिति शामिल हैंः

■ प्रयोज्यताः

- नरिदषिट क्षेत्रों में स्टार्टअप और MSME अनुदान के रूप में दो करोड रुपए तक प्राप्त करने के पात्र होंगे। इनमें नमिनलखिति शामिल हैंः
- दुर्लभ खनजिों की खोज,
- भूमि और गहरे समुद्र में खनजि अन्वेषण के लिये प्रौद्योगिकियाँ,
- सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण के लिये खनन विधियों में सुधार,
- खदान अपशषिट और प्लांट टेलगि से मूल्यवर्द्धति उत्पाद प्राप्त करना,
- पर्यावरणीय स्थरिता और पुनर्नवीनीकरण सामग्रियों का उपयोग।
- अनुसंधान में मदद प्रदान करने के लिये अनुदान उपलब्ध होगा जसिे व्यावहारिक प्रौद्योगिकियाँ और उत्पादों हेतु इस्तेमाल कया जा सकता है। अनुदान उन परयोजनाओं को प्रदान कया जाएगा जो कम-से-कम फ्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट स्तर तक पहुँच गई हैं।
- अनुदान को अनुसंधान एवं विकास, प्रोटोटाइपगि, परीक्षण और व्यावसायीकरण पर खर्च कया जा सकता है। नरिदषिट क्षेत्रों में स्टार्टअप की मदद करने वाले इन्क्यूबेशन केंद्र 10 करोड रुपए तक के अनुदान के लिये पात्र होंगे।

■ कार्यान्वयनः

■ कार्यान्वयन की नगरानी खान मंत्रालय के सचवि की अध्यक्षता में एक अंतर-मंत्रालयी समतिद्वारा की जाएगी।

■ अन्य सदस्यों में नमिनलखिति शामिल हैंः

- पृथ्वी वज्जान. वज्जान और प्रौद्योगिकी मंत्रालयों के सचवि,
- भारतीय खान ब्यूरो का महानयित्तरक,
- भारतीय भूवज्जानिक सर्वेक्षण का महानदिशक,
- शकिषाविदों के प्रतनिधि।

■ लाभार्थियों का चयन और अनुदान जारी करने की सफारिश के लिये एक तकनीकी विशेषज्ञ समति का गठन कया जाएगा। इस समति में शैक्षणिक संस्थानों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के प्रतनिधि और खनन क्षेत्र के प्रतषिटि व्यक्ता शामिल होंगे।

अन्वेषण लाइसेंस से संबंधति खनन नियमों में संशोधनः

खान मंत्रालय ने **खान और खनजि (विकास और वनियमन) अधनियम, 1957** के तहत बनाए गए नियमों में संशोधन के मसौदे पर टपिपणयिँ आमंत्रति की। नरिदषिट महत्त्वपूर्ण और रणनीतिक खनजिों के लिये अन्वेषण लाइसेंस शुरू करने हेतु अगस्त 2023 में 1957 के कानून में संशोधन कया गया था। इनमें लथियम, सोना, चाँदी, निकल और कोबाल्ट शामिल हैं।

■ अन्वेषण लाइसेंस नमिनलखिति की अनुमतिदिता हैः

- रीकानसन्स, यानी खनजि संसाधनों को नरिधारति करने के लिये एक प्रारंभिक सर्वेक्षण।
- प्रॉस्पेकटगि, जसिमें खनजि भंडार की खोज, पता लगाना या साबति करना शामिल है।
- मसौदा संशोधन की मुख्य विशेषताओं में नमिनलखिति शामिल हैंः

■ अन्वेषण के लिये ब्लाकों की पहचानः

- राज्य सरकार अन्वेषण के लिये ब्लाकों की पहचान और अनुशंसा करने हेतु एक समति बनाएगी। राज्य का खनन एवं भूवज्जान सचवि समति की अध्यक्षता करेगा। ब्लाकों को अधसूचति करने से पहले राज्य सरकार को केंद्र सरकार की मंजूरी लेनी होगी।

■ नीलामी प्रकरयाः

- अधसूचति ब्लाक के लिये अन्वेषण लाइसेंस प्रतसिपर्द्धी बोली के माध्यम से प्रदान कया जाएगा। राज्य सरकार एक अधिकतम कीमत नरिदषिट करेगी, जो उस ब्लाक हेतु खनन पट्टे के भावी धारक द्वारा देय नीलामी प्रीमियम में अधिकतम प्रतशित हसिसेदारी के संदर्भ में होगी।
- अधिकतम कीमत 25% से कम नरिधारति नहीं की जानी चाहति। लाइसेंस अधिकतम मूल्य से नीचे उद्धृत न्यूनतम प्रतशित वाले को प्रदान कया जाएगा।

■ लाइसेंसधारी के दायतिवः

- लाइसेंसधारी को लाइसेंस प्राप्त करने के 90 दिनों के भीतर अन्वेषण के लिये एक योजना प्रस्तुत करनी होगी। योजना में यह रेखांकति कया जाना चाहति कि वे नरिदषिट क्षेत्र में अन्वेषण कैसे करना चाहते हैं।
- यदि वे आगे की खोज के लिये कोई क्षेत्र रखते हैं, तो उन्हें तीन वर्ष के बाद एक संशोधति योजना प्रस्तुत करनी होगी। लाइसेंसधारी को अर्द्धवार्षिक प्रगत रिपोर्ट भी प्रस्तुत करनी होगी।
- लाइसेंसधारी को अन्वेषण से संबंधति जानकारी या नषिकर्ष का खुलासा करने से प्रतबिंधति कया जाएगा। नियमों के तहत नरिदषिट सरकार और अधिकारियों के अलावा अन्य व्यक्तियों को कसिी भी खुलासे के लिये केंद्र सरकार से पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता होगी।

